उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकाकरी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

कम्पनसेशन वाद संख्या–65 / 2021

ललिता देवी वगै० बनाम् धर्मेन्द्र कुमार वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

18/02/2022

–:: **आदेश** ::–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि आवेदक (1)–ललिता देवी, पति–सुरेश प्रसाद सोनी एवं (2) सुरेश प्रसाद सोनी, पिता–स्व० मुद्रिका प्रसाद दोनों का साकिन–गोलपार, पुरनी मण्डप, रामगढ़ कैन्ट, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा U/s-4 & 5 of the welfare of Senior citizen Act-2007 के तहत् दायर आवेदन पोषणीय नहीं है। इनका कहना है कि उक्त प्रावधान अन्तर्गत यह न्यायालय आदेश/निर्देश पारित करने हेतु सक्षम प्राधिकार अन्तर्गत नहीं आते है। इन्होंने आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए दायर आवेदन प्रविष्टि के बिन्दु पर **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.02.21 14:14:04 +05:30
Location: 192.168.0.3